प्रेस नोट दिनांक 24.05.2025

थाना धानापुर जनपद चन्दौली

◈थाना धानापुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 25000 रुपए का इनामिया 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 01.05.2025 को थाना धानापुर क्षेत्र के ग्राम रायपुर निवासी राजकुमार यादव उर्फ मुटुन पुत्र स्व0 रामकृत यादव की अज्ञात बदमाशों द्वारा कस्बा धानापुर स्थित बस स्टैण्ड के पास गोली मारकर हत्या कर दी गयी, जिसके उपरान्त मृतक के पुत्र की तहरीर पर थाना धानापुर पर मु0अ0सं0 53/2025 धारा 103(1)/190/191(2)/191(3)/352 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु खोजबीन प्रारम्भ की गयी। जिसमें दिनांक 08.05.2025 को एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जिला कारागार में निरूद्ध कराया जा चुका है।

पुलिस कार्यवाही-
चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अंकुश लगाने एवं अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक शरद गुप्ता थाना धानापुर व प्रभारी स्वाट/सर्विलांस उ0नि0 आशीष मिश्रा के नेतृत्व में थाना धानापुर व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम के संयुक्त प्रयास से मु0अ0सं0 53/2025 धारा 103(1)/190/191(2)/191(3)/352 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तों की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान यह ज्ञात हुआ कि मुकदमें से सम्बन्धित 25000 रुपए का इनामिया वांछित अभियुक्त अखिलेश सिंह पुत्र राणा प्रताप सिंह निवासी शिवपुर थाना भभुआ बिहार को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अखिलेश सिंह पुत्र राणा प्रताप सिंह निवासी शिवपुर थाना भभुआ कैमूर बिहार उम्र करीब 28 वर्ष के रूप में हुई। गिरफ्तार अभियुक्त मु.अ.सं. 53/2025 धारा 103(1), 190, 191(2), 191(3), 352, 61(2), 351(3), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 317(2) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट में वांछित चल रहा था। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त अखिलेश सिंह उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अखिलेश सिंह पुत्र राणा प्रताप सिंह निवासी शिवपुर थाना भभुआ कैमूर बिहार उम्र 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 53/2025 धारा 103(1), 190, 191(2), 191(3), 352, 61(2), 351(3), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 317(2) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना धानापुर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक शरद गुप्ता थाना धानापुर जनपद चंदौली
2.उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी स्वाट/सर्विलान्स टीम
3.हे0का0 राणा प्रताप सिंह स्वाट/सर्विलान्स टीम
4.हे0का0 आनंद सिंह स्वाट/सर्विलान्स टीम
5.हे0का0 रामानंद यादव स्वाट/सर्विलान्स टीम
6.हे0का0 प्रेम प्रकाश यादव स्वाट/सर्विलान्स टीम
7.हे0का0 मंटू सिंह स्वाट/सर्विलान्स टीम
8.का0 अजीत कुमार सिंह स्वाट/सर्विलान्स टीम
9.का0 नीरज कुमार मिश्रा स्वाट/सर्विलान्स टीम
10.का0 गणेश तिवारी स्वाट/सर्विलान्स टीम
11.का0 मनोज कुमार यादव स्वाट/सर्विलान्स टीम
12.का0 संदीप कुमार स्वाट/सर्विलान्स टीम
13.का0 मनोज कुमार यादव थाना धानापुर
14.का0 अवनीश पाल थाना धानापुर